न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 110/2012

RCMS Case No. 2012/00324

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भीमसिंह दत्तक पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 डगराराम उर्फ डगरचन्द पुत्र बींजाराम जाति नाई निवासी दूदौड़ तहसील मारवाड जंक्शन 2 ग्राम पंचायत दूदौड़ तहसील मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 व उनके अधिवक्त अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27.02.2018

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 1/2008–2009 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 25.08.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7254 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। अप्रार्थीगण एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख) मारवाड जंक्शन के समक्ष एक वाद वास्ते दिलाये जाने कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञात्मक आज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त भूमि का उसके द्वारा पट्टा प्राप्त किया गया है। तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से उक्त भूमि के पट्टे, मिसल एवं अन्य दस्तावेजों की मांग की, तब उक्त मिसल एवं रेकर्ड ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं होना बताया। अप्रार्थी ने सिविल **न्यायालय (क0ख0) के समक्ष प्रस्तुत जवाब के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया एवं प्रार्थी ने अपने वाद के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया, वह आयताकार है, जबकि जैर** निगरानी पट्टे की पुस्त पर बना नक्शा आयताकार न होकर षष्टभुजाकार है। प्रार्थी द्वारा अपने दावा में जो स्थान बताया है, वह स्थान एवं उसके आसपास का समस्त

अति. जिला कलेक्टर, पाली

स्थान प्रार्थी का पुश्तैनी था। प्रार्थीग्राम दुदौड का भूतपूर्व जागीरदार है तथा अप्रार्थी प्रार्थी के पास सेवादार के रूप में कार्यरत था, जिसे प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि निवास हेतु अस्थाई तौर पर दी थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट कर जैर निगरानी पट्टा बनवा दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालना नहीं की है तथा प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि का पट्टा जारी करने के दौरान प्रार्थी को किसी भी रूप में सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष न तो अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही कोई मिसल कायम की गई। यहां तक कि जिस प्रस्ताव एवं दिनांक की पालना में जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी करना अंकित किया है, उस दिनांक को पंचायत कोरम की बैठक ही नहीं हुई। बिना कोरम की बैठक के जैर निगरानी आज्ञा अंकित करते हुए उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 1/2008–2009 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 25.08.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7254 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.09.2011 के जरिये बैठक कार्यवाही विवरण एवं पट्टा बुक प्रस्तुत की तथा उसके पश्चात मिसल बाबत रेकर्ड चाहे जाने पर पत्र दिनांक 28.07.2017 के जरिये अवगत कराया कि सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस पर पट्टे पर अंकित तथ्यों का बैठक कार्यवाही विवरण में अंकित तथ्यों से मिलान किया गया, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि पट्टे पर मिसल संख्या 1/2008–2009 अंकित है तथा मिसल दायर दिनांक 04.04.2008 अंकित है। इस अनुसार बैठक कार्यवाही विवरण का मिलान करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 04.04.2008 को ग्राम पंचायत के कोरम की बैठक हुई ही नहीं। इसके पश्चात पट्टे पर अंकित तथ्यों अनुसार प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 25.08.2008 की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया जाना **अंकित है। मिसल कार्यवाही विवरण के अनुसार दिनांक 20.08.2008 की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित की जाना अंकित है तथा उसके पश्चात अगली बैठक दिनांक** 05.09.2008 को हुई, जो कोरम के अभाव में स्थगित की गई है। इस प्रकार दिनांक 25.08.2008 को ग्राम पंचायत के कोरम की बैठक ही नहीं हुई, तो तथाकथित बैठक अंकित करते हुए उक्त बैठक में पारित प्रस्ताव की पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो आरम्भ से ही शून्य प्रभावी पाया जाता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को पंचायती **राज संस्था द्वारा पारित किसी आज्ञा की विधिकता को जांचने के अधिकार प्राप्त है, किन्तु जब ग्राम पंचातय कोरम द्वारा कोई आज्ञा ही पारित नहीं की गई, तो उक्त**

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तथाकथित आज्ञा की पालना में जारी किया गया दस्तावेज आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित कोई भी आज्ञा, पंचायत की बैठक में कोरम की सर्वसम्मति होने पर ही जारी की जावेगी, किन्तु हस्तगत प्रकरण में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए बिना कोरम की बैठक के आज्ञा संख्या अंकित करते हुए उसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जो किसी भी रूप में कायम रखने योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 1/2008–2009 में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 25.08.2008 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7254 को अपास्त किया जाता है। चूंकि जैर निगरानी पट्टे पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के भी हस्ताक्षर है, इससे यह स्पष्ट होता है कि एक राजकीय कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य से परे जाकर बिना पंचायत कोरम द्वारा निर्णय पारित करवाए ही जैर निगरानी पट्टा जारी करने में अपनी भूमिका निभाई है। इस कारण उक्त ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, पाली को लिखा जावे। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् पाली को निर्णय की प्रति तहरीर के साथ वास्ते पालनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

यह निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली